दिनांक 25.10.2025
प्रेस विज्ञप्ति 32/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टी0एफ0 :थाना जार्ज टाउन, कमिश्नरेट प्रयागराज में पंजीकृत धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्त नीरज कुमार जायसवाल उर्फ सुल्लू प्रयागराज से गिरफ्तार।

दिनांक 25—10—2025 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को थाना जार्ज टाउन कमिश्नरेट प्रयागराज में पंजीकृत मु0अ0सं0 139/23 धारा 409/467/468/471 भादवि में वांछित अभियुक्त नीरज कुमार जायसवाल उर्फ सुल्लू को प्रयागराज से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः—

नीरज कुमार जायसवाल उर्फ सुल्लू पुत्र राज किशोर, निवासी 161/17 काशीराज नगर कटघर, थाना मुट्ठीगंज, प्रयागराज।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांक व समय

मिन्टो पार्क मनकामेश्वर मन्दिर की तरफ जाने वाली रोड पर नये पुल के नीचे थाना क्षेत्र कीड़गंज, कमिश्नरेट प्रयागराज। दिनांक 25—10—2025 समय 13.50 बजे।

पुलिस महानिदेषक, उ0प्र0 महोदय द्वारा जार्ज टाउन, कमिश्नरेट प्रयागराज में पंजीकृत मु0अ0सं0 139/23 धारा 409/467/468/471 भादवि की विवेचना एसटीएफ को स्थानान्तरित की गयी थी, जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज व इसका पर्यवेक्षण श्री शैलेष प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज द्वारा किया जा रहा है।

उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त नीरज कुमार जायसवाल उर्फ सुल्लू वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु अभिसूचना संकलन का कार्य किया जा रहा था। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त नीरज कुमार जायसवाल उर्फ सुल्लू जनपद प्रयागराज के थाना क्षेत्र कीड़गंज में मौजूद है। प्राप्त सूचना पर उपनिरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह, मुख्य आरक्षीगण अमित शर्मा, राजेश कुमार, किशन चन्द्र,

मु0आ0 कमाण्डो दिलीप कुमार यादव व आरक्षी चालक रविकान्त सिंह की टीम द्वारा मिन्टो पार्क मनकामेश्वर मन्दिर की तरफ जाने वाली रोड पर नये पुल के नीचे थाना क्षेत्र कीड़गंज कमिश्नरेट प्रयागराज पहुॅचकर अभियुक्त नीरज कुमार जायसवाल उर्फ सुल्लू को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह मुट्ठीगंज जनपद प्रयागराज का निवासी है। वह अपने साथी सुधीर केसरवानी के साथ संगम कन्स्ट्रक्शन कम्पनी में अभिकर्ता के तौर पर वर्ष 2016 से कार्य कर रहा था। अभिकर्ता के तौर पर अपना विश्वास बनाते हुए फर्म से लगभग 06 करोड़ 40 लाख रूपये फर्जी दस्तावेज तैयार कर गबन कर लिया गया था, जिसमें से उनके द्वारा 75 लाख रूपये फर्म के स्वामी को वापस कर दिया गया था। शेष रूपया गबन के वापस न करने पर वादी श्री शैलेन्द्र सिंह पुत्र श्री रणवीर सिंह 90ए/10बी बाघम्बरी गद्दी अल्लापुर, थाना जार्ज टाउन, प्रयागराज द्वारा थाना जार्ज टाउन, कमिश्नरेट प्रयागराज पर मु0अ0सं0: 139/2023 धारा : 406/420 भादवि बनाम सुधीर केसरवानी पुत्र रमेश चन्द्र केसरवानी निवासी 595 मुट्ठीगंज जनपद प्रयागराज व नीरज कुमार उर्फ सुल्लू पुत्र राज किशोर निवासी 161/17 बलुआघाट मुट्ठीगंज, प्रयागराज पंजीकृत कराया गया था। उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा धारा 406/420 भादवि का लोप किया गया तथा जुर्म धारा 409/467/468/471 भादवि का अपराध पाये जाने पर उक्त धाराओं की बढ़ोतरी की गयी। उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय से एनबीडब्लू एवं धारा 82 सीआरपीसी (उद्घोषणा पत्र) जारी होने के बाद नोटिस की प्रति उसके घर पर चस्पा की गयी तथा मोहल्ले में मुनादी करायी गयी थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह नेपाल भाग गया था। आज वह किसी से मिलने प्रयागराज स्थित मिन्टो पार्क, मनकामेश्वर मन्दिर के पास आया था।

गिरफ्तार अभियुक्त नीरज कुमार जायसवाल उर्फ सुल्लू उपरोक्त को थाना जार्ज टाउन कमिश्नरेट प्रयागराज में पंजीकृत मु0अ0सं0 139/23 धारा 409/467/468/471 भादवि में दाखिल किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तार अभि0 नीरज कुमार जायसवाल उर्फ सुल्लू उपरोक्त का ज्ञात अपराधिक इतिहासः–

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	88/2014	147/148/149/323/504/506/336/332/353/307/427 भादवि व 7 सीएलए एक्ट	मुट्ठीगंज	कमि0 प्रयागराज
2.	227/2015	147/148/307/323/504/506/394 भादवि	कीडगंज	कमि0 प्रयागराज
3.	165/2016	323/504/506/147/148/149/392 भादवि	मुट्ठीगंज	कमि0 प्रयागराज
4.	198/2018	354ख/504/506 भादवि	कीडगंज	कमि0 प्रयागराज
5.	286/2019	447/506/427 भादवि	औद्योगिक क्षेत्र	कमि0 प्रयागराज
6.	56/2022	406/419/420/467/468/504/506 भादवि	मुट्ठीगंज	कमि0 प्रयागराज
7.	57/2022	419/420/406/504/506 भादवि	मुट्ठीगंज	कमि0 प्रयागराज
8.	72/2022	406 भादवि	कोरांव	कमि0 प्रयागराज
9.	139/2023	409/467/468/471 भादवि	जार्ज टाउन	कमि0 प्रयागराज

एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, उ0प्र0: माननीय सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक SAFEM (FOP)A एवं एनडीपीएस, नई दिल्ली द्वारा एएनटीएफ यूनिट मेरठ के मु0अ0सं0 424/2025 धारा 8/22/29 एनडीपीएस एक्ट व एएनटीएफ यूनिट आगरा द्वारा मु0अ0सं0 691/2025 धारा 8/21/22/25/27ए/29/60 एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में कुल अवैध सम्पत्ति रूपये 1,37,55,610/– (एक करोड़ सैंतीस लाख पचपन हजार छह सौ दस रूपये) फ्रीज किया गया ।

आरोपित का नाम व पता–

1. सतेन्द्र कुमार पुत्र प्रकाश चाद निवासी पावली रोड, मोदीपुरम, थाना पल्लवपुरम जनपद मेरठ
2. विजय गोयल पुत्र राजेश गोयल निवासी जगदीशपुरा, कमिश्नरेट आगरा ।

न्यायालय– माननीय सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक SAFEM (FOP)A एवं एनडीपीएस, नई दिल्ली ।

सम्पत्ति का सक्षिप्त विवरण–

मु0अ0सं0– 424/2025 धारा 8/22/29 एनडीपीएस एक्ट थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ में दि0– 22.06.2024 को एएनटीएफ, थाना मेरठ द्वारा अभियुक्त सतेन्द्र कुमार पुत्र प्रकाश चाद निवासी पावली रोड, मोदीपुरम, थाना पल्लवपुरम जनपद मेरठ को गिरफ्तार किया गया, जिसकी चल सम्पत्ति के क्रम में अभियुक्त व उसके नातेदारों की 93,82,610/–रूपये की कुल 11 सम्पत्ति अवैधरूप से पायी गयी । जिसका फ्रीजिंग ऑर्डर NDPSA/FO/168/DEL/2025 दि0–18.09.2025 को माननीय न्यायाधीकरण सफीमा, नई दिल्ली को जारी किया गया, तथा दि0– 17.10.2025 को माननीय सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक SAFEM (FOP)A एवं एनडीपीएस, नई दिल्ली ने इसको प्रेषित करते हुये सुनवाई के पश्चात फ्रीजिंग ऑर्डर की पुष्टि की ।

मु0अ0सं0– 691/2025 धारा 8/21/22/25/27ए/29/60 एनडीपीएस एक्ट थाना सिकन्दरा जनपद कमिश्नरेट आगरा में दि0– 23.10.2024 को एएनटीएफ, ऑपरेशनल यूनिट आगरा द्वारा अभियुक्त विजय गोयल पुत्र राजेश गोयल निवासी आईकान सिटी मघटई थाना जगदीसपुरा कमिश्नरेट आगरा को गिरफ्तार किया गया, जिसकी चल सम्पत्ति के क्रम में अभियुक्त व उसके नातेदारों की 43,73,000/– रूपये की कुल 03 सम्पत्ति अवैधरूप से पायी गयी । जिसका फ्रीजिंग ऑर्डर NDPSA/FO/171/DEL/2025 को न्यायाधीकरण सफीमा, नई दिल्ली द्वारा दि0– 18.09.2025 को माननीय न्यायाधीकरण सफीमा, नई दिल्ली को जारी किया गया, तथा दि0–17.10.2025 को माननीय सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक SAFEM (FOP)A एवं एनडीपीएस, नई दिल्ली ने इसको प्रेषित करते हुये सुनवाई के पश्चात फ्रीजिंग ऑर्डर की पुष्टि की ।

मुख्य भूमिका का अभियोजन–

1. प्रभारी नि0 सौरभ विक्रम सिंह एएनटीएफ थाना मेरठ
2. उ0नि0 उ0नि0 राजेन्द्र सिंह एएनटीएफ थाना मेरठ
3. का0 राहुल कुमार एएनटीएफ थाना मेरठ ।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना शाहपुर

• पुलिस कार्यवाही में 10 अभियुक्त गिरफ्तार

• चोरी की घटना का अनावरण

• लगभग 07 लाख रूपये कीमत की चोरी के 5.40 कुन्तल ट्रांसफार्मर कॉपर की कोइल

• ट्रांसफार्मर तार खोलने, काटने के उपकरण

• घटना में प्रयुक्त कैन्टर वाहन

• 03 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद

दिनॉकः 24/25.10.2025 की रात्रि थाना शाहपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शामली बाईपास पर चेकिंग के दौरान बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–राहुल 2–इरफान 3–इरसाद घायल हो गये, जिन्हें अभियुक्त 4–महताब 5–अरमान 6–साबूदीन 7–अफसरून 8–फजलू उर्फ चांद 9–दीपक 10–सोनू सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 07 लाख रूपये कीमत की चोरी के 5.40 कुन्तल ट्रांसफार्मर कॉपर की कोइल, ट्रांसफार्मर तार खोलने, काटने के उपकरण, घटना में प्रयुक्त कैन्टर वाहन, 03 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थाना क्षेत्र में चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद ट्रांसफार्मर कॉपर की कोइल चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त राहुल के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, विद्युत अधिनियम आदि के 08 अभियोग, अभियुक्त इरफान के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, विद्युत अधिनियम आदि के 07 अभियोग व अभियुक्त महताब के विरूद्ध जनपद

अमरोहा, मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, विद्युत अधिनियम आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना शाहपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राहुल निवासी ग्राम मदारपुरा थाना सरधना जनपद मेरठ।

2—इरफान निवासी कस्बा व थाना किला परीक्षितगढ़ जनपद मेरठ।

3—इरसाद निवासी मुस्तफाबाद लोनी थाना लोनी, गाजियाबाद।

4—महताब निवासी अशोक बिहार लोनी थाना लोनी, गाजियाबाद।

5—अरमान निवासी ग्राम माण्डी थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर हालपता—बबलू गार्डन थाना लोनी, गाजियाबाद।

6—साबूदीन निवासी ग्राम गवाली खेड़ा थाना लोनी, गाजियाबाद।

7—अफसरून निवासी ग्राम गौना थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

8—फजलू उर्फ चांद निवासी ग्राम गौना थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

9—दीपक निवासी ग्राम बघरा थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर।

10—सोनू निवासी ग्राम गौना थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

बरामदगी

1—लगभग 07 लाख रूपये कीमत की चोरी के 5.40 कुन्तल ट्रांसफार्मर कॉपर की कोइल।

2—ट्रांसफार्मर तार खोलने, काटने के उपकरण।

3—घटना में प्रयुक्त कैन्टर वाहन।

4—03 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

———————